



2026:AHC:128949

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 25132/2026

हरमिन उर्फ हरमिन कश्यप

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विरोधी पक्षकार

आवेदक के लिए अधिवक्ता

: अभिषेक गुप्ता

विरोधी पक्षकार के लिए अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति, विकास बुधवार

1. आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक गुप्ता और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री नीलकंठ उपाध्याय को सुना गया।
2. जिस प्रकार का आदेश पारित किए जाने का प्रस्ताव है, उसे देखते हुए विरोधी पक्षकार संख्या 2 को नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है।
3. यहाँ आवेदक ने इससे पहले बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या 2384/2026 (हरमिन कश्यप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) दाखिल करके इस न्यायालय से संपर्क किया था, जिसमें दिनांक 23.03.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

"1. विरोधी पक्षकार संख्या 2 की ओर से आज न्यायालय में दाखिल किया गया वकालतनामा अभिलेख पर लिया गया।

2. आवेदकों के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक गुप्ता, विरोधी पक्षकार संख्या 2 के लिए विद्वान अधिवक्ता सुरेश कुमार मिश्रा, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. यह वर्तमान आवेदन बीएनएसएस की धारा 528 के तहत इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि इस आवेदन को स्वीकार किया जाए और समझौते के आधार पर, ए.सी.जे.एम., खुर्जा, जिला बुलंदशहर के न्यायालय में लंबित मुकदमा संख्या 2012/2025 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरमिन) की संपूर्ण कार्यवाही और थाना खुर्जा देहात, जिला बुलंदशहर के मुकदमा अपराध संख्या 308/2024, भा.दं.सं. की धाराओं 498-क, 323, 504, 506 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 से उत्पन्न आरोप पत्र दिनांक 14.10.2024 को अभिखंडित किया जाए, तथा विचारण न्यायालय, ए.सी.जे.एम., खुर्जा, बुलंदशहर द्वारा पारित आक्षेपित संज्ञान/समन आदेश दिनांक 29.08.2025 को अपास्त किया जाए।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पक्षकारों ने दिनांक 29.11.2025 के समझौते के माध्यम से अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है, जिसे आवेदन के साथ "अनुलग्नक संख्या-5" के रूप में रखा गया है। इसलिए, संबंधित न्यायालय के समक्ष कार्यवाही जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा और यह न केवल न्यायालय के समय की पूर्णतः बर्बादी है बल्कि विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है।

5. हालांकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह विचारण न्यायालय का कार्य है कि वह इस तथ्य का सत्यापन करे कि क्या पक्षकारों के बीच समझौता हुआ है, इसलिए आवेदक संबंधित न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं और पक्षकारों के बीच समझौते के संबंध में एक आवेदन दाखिल कर सकते हैं, जिसका विनिश्चय विधि के अनुसार किया जाएगा।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुणागुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना, आवेदकों और विरोधी पक्षकार संख्या 2 को निदेशित किया जाता है कि वे आज से तीन सप्ताह के भीतर समझौता विलेख और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों। यह अपेक्षा की जाती है कि संबंधित न्यायालय समझौते के



सत्यापन के लिए एक तिथि निर्धारित कर सकता है और पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद, दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए, विधि के अनुसार इस संबंध में यथासंभव शीघ्रता के साथ एक समुचित आदेश पारित कर सकता है, जो कि यदि कोई अन्य विधिक अड़चन न हो, तो प्राथमिकता के आधार पर इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर हो। समझौते का सत्यापन करते हुए आदेश पारित करते समय, संबंधित न्यायालय पक्षकारों के यह कथन भी अभिलिखित करेगा कि दाखिल किए गए मूल समझौता विलेख में उल्लिखित सभी निबंधन और शर्तें पूरी हुई हैं या नहीं।

7. उस स्थिति में, न्यायालय पक्षकारों को रिपोर्ट और समझौते की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की अनुमति देगा तथा आवेदकों के लिए कार्यवाही को अभिखंडित कराने हेतु पुनः इस न्यायालय से संपर्क करने का विकल्प खुला रहेगा।

8. संबंधित न्यायालय द्वारा पक्षकारों के बीच समझौते के सत्यापन तक, उपर्युक्त मामले में आवेदकों के विरुद्ध कोई प्रपीड़क कार्रवाई नहीं की जाएगी।

9. उपर्युक्त निदेशों के साथ, यह आवेदन निपटाया जाता है।"

4. अभिलेख पुस्तिका के पृष्ठ 71 से यह प्रकट होता है कि समझौते का सत्यापन 28.04.2026 को हो चुका है।

5. उक्त तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिसमें ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य: (2012) 10 एससीसी 303 और मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण: आपराधिक अपील संख्या 349/2019 के मामलों में अधिकथित विधि भी शामिल है, आवेदक के विरुद्ध आगे न्याय निर्णयन के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता है।

6. तदनुसार, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. पुलिस थाना खुर्जा देहात, जिला बुलंदशहर के मुकदमा अपराध संख्या 308/2024, भा.दं.सं की धाराओं 498-क, 323, 504, 506 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 से उत्पन्न ए.सी.जे.एम., खुर्जा, जिला बुलंदशहर के न्यायालय में लंबित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मुकदमा संख्या 2012/2025 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरमिन) की कार्यवाही को
अभिखंडित किया जाता है।

8. यदि कोई शेष रह जाता है, तो विरोधी पक्षकार संख्या 2 को पुनः न्यायालय से
संपर्क करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

24 जून, 2026

राजेश

Translated Verion, Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।